न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00499/2016/223

1. गोपालसिंह पुत्र गोकल सिंह,
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र गोकलसिंह,
3. श्रीमती बेबी कंवर पुत्री गोकल सिंह, पत्नि मानसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी बड़गांव, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हेम कंवर पत्नि लादूसिंह,
2. राजवीर उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह,
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र संग्राम सिंह,
4. रामसिंह पुत्र गुमान सिंह,
5. भगवानसिंह पुत्र गुमान सिंह,
6. केसर पुत्री मांगीलाल (फौत) जरिये वारिसानः—
   6/1— गोपाल पुत्र केसर,
   6/2— गंगा पुत्री केसर,
   6/3— सप्यार पुत्री केसर,
   6/4— सीता पुत्री केसर,
   समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम सुरजकुण्ड (बड़गांव) तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 25.2.2011 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 अंतर्गत वाद संख्या 492/2008 (162/2010).

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वी0पी0सिंह राजावत, वकील रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 व 5.
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 18.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने एक राजस्व वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विरूद्ध राज्य सरकार एवं रेस्पो0 संख्या 6 के पेश

कर कथन किया कि मौजा बड़गांव के साबिक खसरा नंबर 603 रकबा 0.63 है0, 604 रकबा 0.55 है0, 957 रकबा 0.44 है0, 958 रकबा 0.58 हे0, 959 रकबा 0.50 है0, 1268 रकबा 0.86 है0, 2087 रकबा 0.21 है0, 2215 रकबा 0.31 है0, 2313 रकबा 0.32 है0, 2314 रकबा 0.10 है0 तथा खसरा नंबर 953/3029 रकबा 0.20 है0 वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व उक्त आराजियात में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का 1/3 व रेस्पे0 संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा तथा वादी/रेस्पो0 संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व वादी/रेस्पो0 संख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा तथा वादी/अपीलांट संख्या 6 का 1/3 हिस्सा है । वाद की चरण संख्या 1 (ब) की आराजी खसरा नंबर 1264 रकबा 0.94 है0 व 1267 रकबा 0.95 है0 में वादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा तथा वाद ीसंख्या 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है जिसमें वादीगण संख्या 6 से 8 अपीलांटस का कोई हक व हिस्सा नही ंहै । यह हमारी खरीदशुदा आराजी है । वादपत्र की चरण संख्या 1 (अ) में अंकित आराजी मे ंवादी संख्या 1 से 3 व 6 से 8 का नाम दर्ज नहीं हो पाया केवल वादी संख्या 4 व 5 के ही नाम दर्ज हो पाये । अतः इनके नाम व हिस्से राजस्व रिकार्ड मे ंदर्ज करवाये जावे । राज्य सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट/वादी संख्या 6 से 8 ने रिकार्ड के अनुसार 1/3 हिस्सा सिद्ध नहीं किया है व लादूसिंह का नाम सही दर्ज है । वादपत्र खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 को पारित कर वादीगण को खाता संख्या 293 नया की आराजियात में 1/2 हिस्सा आने के अनुसार बंटवारा भूमि इनके पक्ष में करने तथा शेष 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा वादी संख्या 3 लक्ष्मणसिंह तथा 1/3, 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में तथा 1/3 हिस्सा अपीलांट/वादी संख्या 6, 7 व 8 के हिस्से में रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने के आदेश पारित किया तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने स्वंय ने ही बिना किसी रिव्यू प्रार्थना पत्र के अपने आप द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 को संशोधित करने का गैर कानूनी आदेश दिनांक 25.2.2011 को कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री 25.2.2011 के विरूद्ध यह अपील पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के बयान दर्ज नहीं कराये केवल अकेले लक्ष्मण सिंह के बयान दर्ज कर जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित की गई है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किये स्वंय ही सो–मोटो अपने ही निर्णय को संशोधित करते हुए बंटवारा प्रस्ताव को हटाने में वैधानिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा वाद पेश किया गया था परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के बंटवारा प्रस्ताव को संशोधित करने का गैर कानूनी निर्णय पारित किया है चूंकि बंटवारे के वाद में स्वंय तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव बनाकर ही बटवारे के वाद का निर्णय किया जा सकता है। इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से परे जाकर स्वंय

ही बंटवारा प्रस्ताव को संशोधित करने का निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व ही श्रीमती केसर का देहांत हो चुका था इस प्रकार अधी0न्याया0 ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । रेस्पो0/वादी संख्या 1 से 5 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र के पैरा संख्या 2 में सारणी ब के खसरा नंबर 1267 व 1264 को क्रयशुदा भूमि बताते हुए अपीलांटस/वादीगण संख्या 6, 7 व 8 को धोखे में रखते हुए दावा डिक्री करवाया है जबकि संपूर्ण आराजियात पैतृक आराजियात है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार छीतरसिंह पुत्र मेहताबसिंह राजपूत थे जो जमाबंदी सन् फसली 1349 से स्पष्ट है कि । छीतरसिंह पुत्र मेहताबसिंह का सजरा सरपंच द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 (3) सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया है । उक्त सजरे के अनुसार संपूर्ण आराजी में अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा निहित है परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना किसी अधिकार के खाता संख्या नया 293 की आराजी में वादी संख्या 4 व 5 को 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्से में वादी संख्या 3 लक्ष्मण सिंह को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 1 व 2 को 1/3, 1/3 हिस्सा व अपीलांटस का 1/3 हिस्सा होने की गैर कानूनी संशोधित डिक्री पारित की है । छीतर पुत्र मेहताब की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 172 दिनांक 27.6.1963 को छीतर के वारिसान संग्रामसिंह, गुमानसिंह, गोकुलसिंह व बेवा ऐजन कंवर के नाम खोलने के निर्देश दिये थे परन्तु विपक्षी संग्रामसिंह व गुमानसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जमाबंदी संवत् 2016 से 2020 में अकेले संग्रामसिंह व गुमानसिंह के नाम दर्ज करवा ली जो गलत है । अधी0न्याया0 के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री सो–मोटो रिव्यू कर बंटवारा प्रस्ताव को हटाने का आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 निरस्त की जावे तथा अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष सिफ लक्ष्मणसिंह ही पूरे वाद की पैरवी करता था । हम प्रार्थीगण ने सिफ वादपत्र पर हस्ताक्षर किये थे इसके पश्चात् न तो प्रार्थीगण के न्यायालय में बयान हुए न ही उपरोक्त निर्णय की प्रार्थीगण को पूर्व में जानकारी थी। दिनांक 8.11.2016 को विपक्षी हेमकंवर पत्नि लादूसिंह व राजेन्द्रसिंह उर्फ राजवीर सिंह पुत्र लादूसिंह ने रजिस्टर्ड बेचान से भूमि लक्ष्मणसिंह पुत्र संग्राम सिंह को बेचान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण का दावा दिनांक 25.2. 2011 को डिक्री किया गया है जिसमें प्रार्थीगण को कम हिस्सा प्रदान किया गया है । तब प्रार्थीगण ने दिनांक 17.11.2016 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 28.11.2016 को नकल प्राप्त हुई जिस पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की है । यदि न्यायालय को अपने निर्णय में कोई त्रुटि नजर आ जाती है तो सो–मोटो

रिव्यू करने का अधिकार है । जमाबंदी संवत् 2062 से 2065 के खाता संख्या 293 नया की आराजी मे वादीगण संख्या 1 से 3 व 6 से 8 का 1/2 हिस्सा है तथा वादी संख्या 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है । खसरा नबर 1264 व 1267 केशर पुत्री मांगीलाल कोम दरोगा व लादूसिंह वल्द संग्रामसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण कर विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटस/वादीगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद राजस्थान सरकार एवं रेस्पो0 संख्या 6 केसर पुत्री मांगीलाल के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 603 रकबा रकबा 0.63 है0, 604 रकबा 0.55 है0, 957 रकबा 0.44 है0, 958 रकबा 0.58 हे0, 959 रकबा 0.50 है0, 1268 रकबा 0.86 है0, 2087 रकबा 0.21 है0, 2215 रकबा 0.31 है0, 2313 रकबा 0.32 है0, 2314 रकबा 0.10 है0 तथा खसरा नंबर 953/3029 रकबा 0.20 है0 वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । उक्त आराजियात में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, वादी/रेस्पो0 संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व वादी/रेस्पो0 संख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा है । इसी प्रकार वादपत्र की चरण संख्या 1 (ब) में वर्णित आराजी खसरा नंबर 1264 रकबा 0.94 है0 व खसरा नंबर 1267 रकबा 0.95 है0 में वादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है जिसमें वादीगण संख्या 6 से 8 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादपत्र की चरण संख्या 1 (अ) में वर्णित आराजियात में वादी संख्या 1 से 3 व 6 से 8 का नाम दर्ज नहीं होकर केवल वादी संख्या 4 व 5 के ही नाम दर्ज हो गये है । अतः इनके नाम व हिस्से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष राज्य सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट/वादी संख्या 6 से 8 ने रिकार्ड के अनुसार 1/3 हिस्सा सिद्ध नहीं किया है व लादूसिंह का नाम सही दर्ज है। अतः वादपत्र खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 को पारित कर वादीगण को खाता संख्या 293 नया की आराजियात में वादीगण संख्या 1 से 3 व 6 से 8 को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 4 व 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा इसी प्रकार खाता संख्या 79 में वादी संख्या 1 से 3 व वादी संख्या 6 से 8 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.2.2011 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित कर अंकित किया कि '' प्रकरण में स्वविवेक से पुनर्विचार करने पर पाया कि विभाजन का यह वाद वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु लाये है । प्रतिवादी पक्ष की इनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि में हिस्सेदारी नहीं है ऐसी स्थिति में वादीगण के हिस्से ही कायम कर बंटवारा किया जाता है किन्तु मूल निर्णय में सहवन से बंटवारा प्रस्ताव का उल्लेख कर दिया गया जिसे संशोधित किया जाना न्यायोचित है । अतः ग्राम बड़गांव की जमाबंदी संवत् 20672 से 2065 के खाता संख्या 293 नया की आराजी में वादीगण

संख्या 1 से 3 व 6 से 8 को 1/2 हिस्से का तथा 4 व 5 को 1/2 हिस्से का तथा जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 के खाता संख्या 79 में वादी संख्या 1 से 3 व 6 से 8 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है । साथ ही यह भी संशोधन कर कि खाता संख्या 293 मे वादी संख्या 4 व 5 का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्से में से वादी संख्या 3 लक्ष्मणसिंह का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या 6, 7 व 8 का तथा खाता संख्या 79 के 1/2 हिस्से मे वादीगण संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 6 से 8 गोपालसिंह, गजेन्द्रसिंह व श्रीमती बेबी का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है । ''

9. अपीलांटस का अपीलमीमों एवं दौराने बहस यह मुख्य कथन रहा है संपूर्ण आराजियात वादीगण की पैतृक आराजियात है जिसमें नामांतकरण संख्या 172 दिनांक 27.6.1963 को छीतर सिंह के फौत होने पर विरासत का नामांतकरण दर्ज किया गया था जिसमें उनके वारिसान संग्रामसिंह, गुमानसिंह, गोकलसिंह एवं बेवा ऐजन कंवर के नाम नामांतकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये गये थे इसके बावजूद भी संग्रामसिंह एवं गुमानसिंह ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर जमाबंदी संवत् 2016 से 2020 में अकेले संग्रामसिंह एवं गुमानसिंह के नाम आराजियात दर्ज करवा ली थी जबकि विरासत नामांतकरण संख्या 172 में गोकलसिंह व छीतरसिंह की बेवा ऐजन कंवर के नाम नामांतकरण खोलने के आदेश दिये गये थे जो कि एक्जी.प्रदर्श–2 है । इसी प्रकार अधी0न्याया0 ने अकेले लक्ष्मणसिंह के बयान दर्ज कर एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है । इसी प्रकार अधी0न्याया0 के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने बिना रिव्यू प्रार्थना पत्र के स्वंय ही सो–मोट अपने ही निर्णय व डिक्री को संशोधित करते हुए बंटवारा प्रस्ताव को हटाने में त्रुटि कारित की है । यह भी कथन रहा है कि वाद के विचाराधीन रहते श्रीमती केसर का देहांत हो चुका था जिसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0/वादी संख्या 1 से 5 ने आराजी जो कि वादपत्र के पैरा संख्या 2 में सारणी ब के खसरा नंबर 1267 व 1264 को क्रय भूमि बताते हुए अपीलांटस/वादीगण संख्या 6, 7 व 8 को धोखे में रखते हुए दावा डिक्री करवाया है जबकि संपूर्ण आराजियात पैतृक है । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के खसरा नंबर 1267 व 1264 को क्रयशुदा भूमि मानते हुए जो संशोधित डिक्री पारित की है वह निरस्तनीय है ।

10. अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 दिनांक 25.2.2011 को वाद डिक्री कर दिनांक 25.2.2011 को सो–मोटो रिव्यू कर संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा संशोधित निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व वादीगण को सूचित किया जाकर सुना जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है । इसके अतिरिक्त अपीलांटस ने विवादित आराजी खसरा नपंबर 1267 व 1264 को पैतृक होने का कथन किया है किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में विवादित आराजियात खसरा नंबर 1267 व 1264 को क्रयशुदा मानकर निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके संबंध में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2011 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात पैतृक होने के संबंध में जांच कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर